1903

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश U H
20 SEP 2007
आगरा

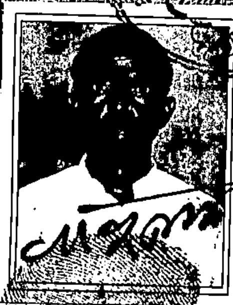

बैनामा

भूमि का प्रकार	-	कृषि भूमि
वार्ड परगना	-	तहसील किरावली जिला आगरा
मोहल्ला/ग्राम	-	ग्राम पनवारी तहसील किरावली जिला आगरा
आराजी का विवरण	-	खाता संख्या 178 खसरा सं. 803 रकवई - 0.4630 हे. लगानी 12.05/- रू. का 1/2 भाग यानी रकवई 0.2315 हे.
सडक की स्थिति	-	मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
पेडों का मूल्यांकन	-	नहीं।
बोरिंग/कुआ/अन्य	-	नहीं।

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उदयवीर सिंह
कोषाधिकारी
20 SEP 2007
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.

330017

Authorised Signatory

प्रतिफल की धनराशि	=	16,01,600/- रूपया
सरकारी कीमत	-	खरीद कीमत से कम
सर्किल रेट	-	20,00,000/- रूपया प्रति हेक्टेयर
स्टाम्प	-	1,28,200/- रूपया

विक्रेता/ प्रथम पक्ष की संख्या [दो]

बाबू उर्फ बाबूलाल व कलुआ पुत्रगण स्व.श्री मुंशी लाल निवासीगण ग्राम पनवारी, तहसील किरावली जिला आगरा ।

एवं

क्रेता/ द्वितीय पक्ष की संख्या [एक]

भागीरथी रियलटर्स प्रा. लि. रजि. आफिस 1101 टौल्सटॉय हाउस, टौल्सटॉय मार्ग नई दिल्ली-110001 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्रीपाल वर्मा पुत्र स्व.श्री तुलाराम निवासी सी-32, सेक्टर-जे, अलीगंज लखनऊ ।

Bhagirathi Realtors (P) Ltd

Authorised Signatory

Rs 20000 रु भारतीय गैर न्यायिक Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

[illegible]
कोषाधिकारी
20 SEP 2007
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 330018

स्वत्व विवरण :-

विदित हो कि एक किता आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 178 खसरा सं. 803 रकबई 0.4630हे. लगानी 12.05/- रू. सालाना का 1/2 भाग यानी रकबई 0.2315 हे. बाकै ग्राम पनवारी तहसील किरावली जिला आगरा जिसकी 200 मीटर की परीधी में खेती हो रही है और जो मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है जिसके विक्रेता प्रथम पक्ष व इन्द्राज राजस्व अभिलेख खतौनी वर्ष फसली 1412-1417 के उपरोक्त वर्णित कुल आराजी के 1/2 भागयानी 0.2315 हे. के मालिक काबिज व दखील चले आ रहे हैं कि जिसमें विक्रेता प्रथम पक्ष काही कब्जा बरकरार है तथा वह स्वंय काश्त कर रहे हैं तथा समय-समय पर उपरोक्त का जो भी लगान होता है वह सम्बन्धित विभाग को अदाकरते चले आ रहे हैं तथा सिवाय विक्रेता प्रथम पक्ष के उपरोक्त वर्णित कुल आराजी के हिस्सा प्रथमपक्ष में अन्य कोई साझीदार व हिस्सेदार किसी भी प्रकार का नहीं है कि जो माने इन्तकाल बगैरा काहोवे तथा अब विक्रीत आराजी कृषि भूमि आज तक की समस्त प्रकार की देनदारी व ऋणा, विक्रय, दान, जमानत व मुआहिदा बैय आदि से हर तौर पर पाक व साफ

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

330019

20 SEP 2007

आगरा

-4-

है व निर्विवादित है व भार रहित है व चार्ज रहित है व गुड टाईटिल युक्त है व अन्तरणयोग्य है तथा आज तक किसी भी संस्था या न्यायालय आदि का ऐसा कोई आदेश या निर्देश पारित नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से विक्रेता प्रथम पक्ष को उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि को विक्रय करने से रोका गया हो वरन विक्रेता प्रथम पक्ष को यह दस्तावेज निष्पादित करने के समस्त हक व अधिकार हासिल हैं ।

चूंकि मौजूदा समय में विक्रेता प्रथम पक्ष को उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि के कोई विशेष लाभ नहीं है तथा उपरोक्त पर खेती करने के लिए प्रथमपक्ष के पास धन की कमी होने के कारण प्रथम पक्ष चाहते हैं कि उपरोक्त आराजी कृषि भूमि को बाजार में अधिक से अधिक कीमत पर विक्रय कर दिया जाये ताकि विक्रय के उपरान्त जो भी धन प्राप्त हो उससे प्रथमपक्ष अपनी कृषिकीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि की सर्वाधिक व माकूल कीमत अदा करते हुए क्रयकरने को तैयार है कि जिसमें सरासर फायदा विक्रेता प्रथम पक्ष का है।

Bhagirathi Realtors (P) Ltd

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

330020

20 SEP 2007

आगरा

-5-

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष स्वेच्छा से व प्रसन्नता पूर्वक व स्वस्थ चित्त मन बुद्धि व इन्द्रियों के व बिला बहकाये व सिखाये व बिला दवाव किसी नाजायज के व सलाह मशवरा किए अपने सगे सम्बन्धियों व विधिक सलहाकारों से उपरोक्त वर्णित कुल आराजी में से अपने सम्पूर्ण हिस्सा कृषि भूमि को स्वंय के हितार्थ व लाभार्थ व बिला छोडे किसी हक व अधिकार के मय जुमला हक हकूक दाखिला व खारिजा के मय सुखाधिकार के व एवज मुवलिग 16,01,600/- सोलह लाख एक हजार छैः सौ रूपया जिसके आधे 8,00,800/- आठ लाख आठ सौ रूपया होते हैं में बदस्त- भागीरथी रियलटर्स प्रा. लि. रजि. आफिस 1101 टौल्सटौय हाउस, टौल्सटौय मार्ग नई दिल्ली-110001 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी श्री श्रीपाल वर्मा पुत्र स्व. श्री तुलाराम निवासी सी-33 सेक्टर-जे, अलीगंज लखनऊ उक्त द्वितीय पक्ष के हक में बैय कतई किया व बैच दिया तथा कीमत का कुलधन विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से वजरिए दो किता चैक यानि चैक नम्बरी 705652 दि. 24-8-07 तादादी 8,00,800/- रूपया व दोयमी चैक नम्बरी 705653 दि. 24-8-07 तादादी 8,00,800/- रूपया दोनों ही चैक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा भिड

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उपकोषाधिकारी
कोषाधिकारी
20 SEP 2007
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

330021

कोरपोरेट, बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली के प्राप्त कर लिए हैं तथा अब विक्रेता प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीय पक्ष से उपरोक्त विक्रीत आराजी कृषि भूमि की बाबत कुछ पाना या लेना बाकी नहीं रहा और ना आयंदाहोगा ।

लिहाजा कब्जा व दखल उपरोक्त विक्रीत आराजी कृषि भूमि से विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपना हटाते हुए कब्जा व दखल क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया तथा मालिक मुस्तकिलबना दिया तथा आज से क्रेता द्वितीय पक्ष को हक व अधिकार है कि वह उपरोक्त विक्रीत आराजी कृषि भूमि से बहैसियत स्वामी के लाभान्वित होवे तथा उसमें स्वंय काश्त करें तथा लगान अदा करे या हाथ बटाई पर उठावे व अपने नाम का नामाकंन जरिए इस दस्तावेज हाजा के सम्बन्धित दफतरान मजाज के राजस्व अभिलेखों में दर्ज करालेवे या वक्त जरूरत पडने पर किसी भी दीगर व्यक्ति या संस्था आदि के हक में ऋण, विक्रय, दान, जमानत आदि जो चाहे सो करे तथा जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं है जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष अपनी सहर्ष अनापत्ति प्रदान करते हैं ।

यह कि विक्रीत आराजी कृषि भूमि नजूल व राजकीय आस्थान व ग्राम सभा की जमीन नहीं है और नाहीं राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित कियागया है और नाहीं उपरोक्त का कोई मुआबजा लिया है ।

Bhagirathi Realtors P. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A J65992

18 SEP 2007

आगरा

यह कि यदि भविष्य में उपरोक्त विक्रीत आराजी कृषि भूमि की बाबत कोई दीगर, कौमी या खानदानी या कोई दीगर व्यक्ति पैदा होकर कोई दावा व झगडा किसी प्रकार का क्रेता द्वितीय पक्ष से करता है या उक्त दावा व झगडा की वजह से कब्जा जुज व कुल क्रेता द्वितीय पक्ष से विक्रीत आराजी कृषि भूमि से निकल जावे या किसी को कोई रकम अदा करनी पडे या टाईटिल में कोई कानूनी कमी पाई जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में उपरोक्त कुल की जबाबदेही व अदायगी की जिम्मेदारी मय सूद हरजा व खरचा के व सम्पत्ति हर किस्म चल व अचल विक्रेता प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की है व आयंदा होगी ।

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 269373

आगरा

यह कि विक्रीत आराजी कृषि भूमि एक फसली है तथा विक्रीत आराजी कृषि भूमि परकोई पेड नहीं है तथा विक्रेता व क्रेता दोनों में से कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति नहीं है तथा उपरोक्त कृषि भूमि उ.प्र.ज.वि. अधिनियम 1950 की धारा 143§1§ के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हुई है तथा विक्रीत

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 269374

आराजी कृषि भूमि की 200 मीटर की परिधी में कृषि हो रही है तथा विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता फर्म द्वितीय पक्ष के पास समस्त उ.प्र. में साढे बारह एकड से अधिक कृषि भूमि नहीं है और नाहीं उपरोक्त आराजी को क्रय करने के उपरान्त क्रेता द्वितीय पक्ष के ~~पास~~ समस्त उ.प्र. में साढे बारह एकड से अधिक भूमि नहीं है।

Bhagirathi Realtors (P) Ltd

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 269375

विवरण स्टाम्प अदायगी :- यह कि जिलाधिकारी आगरा द्वारा उप-निबन्धक तहसील किरावली जिला आगरा की सर्किल दर लिस्ट में ग्राम पनवारी की मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी की सर्किल दर 20,00,000/- रूपया प्रति हेक्टेयर निर्धारित की है जिसके अनुसार विक्रीत आराजी की सरकारी 4,63,000/- रूपया

Bhagirathi Realtors (P) Ltd

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 462341

कोषागार, आगरा

-11-

होती है जबकि खरीद कीमत 16,01,600/- रूपया पर यह बैनामा 8 प्रतिशत की दर से मुवलिग 1,28,200/- रूपया के स्टाम्पों पर निष्पादित किया जा रहा है जो कि समुचित ही नहीं वरन अधिक पर स्टाम्पित है ।

Bhagirathi Realtors (P) Ltd

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 462342

लिहाजा यह बैनामा हस्व हिदायत पक्षकारान के लिख दियाजो कि सनद रहे और वक्तजरूरत पर काम आवे तहरीर तारीख 20-9-2007 ई. व मसौदा सुधीर कौशल एडवोकेट व मुकाम सदर तहसील आगरा। इस दस्तावेज पर चस्पा फोटो की शिनाखत नीचे लिखे गवाहों द्वारा की गई है ।

SUDHIR KAUSHAL
AGRA
ADVOCATE

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.
Authorised Signatory

गवाह- [illegible]

गवाह- [illegible] आगरा

1/10/12 (1/12/2012) बही स्टाम्प रु०............पं० 1 में शामिल है।

(हस्ताक्षर) 4-28-12
Cashier
Agra Treasury

बही 1 जिल्द 1631 के पृष्ठ 101 / 314 के नम्बर 6168
पर आज दि० 31-2-12 को रजिस्ट्री की गई।

उ० नि०
(हस्ताक्षर)

(मुहर)

Bhagirathi Realtors (P) Ltd.

Authorised Signatory